रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2013/माघ 18, 1934
No. 310] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2013/MAGHA 18, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2013

का.आ. 334(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8डी के 00.000 कि.मी. से 127.000 कि.मी. (जेतपुर-सोमनाथ खण्ड) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

और यत: प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, मैसर्स जेतपुर-सोमनाथ टोलवे लिमिटेड, जो 09-08-2010 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नरीमन चैंबर, सी-32 जी ब्लॉक, बांद्रा-कुरला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई-400 051 में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8डी के 0.000 कि.मी. से 127.600 कि.मी. तक के जेतपुर-सोमनाथ खण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) को चार लेन का बनाने प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) किया है ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार लेन के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की लम्बाई 87.590 कि. मी. के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर पर शुल्क लगाया और संग्रहीत किया जाएगा और पुलों/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में निर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहित और संग्रहीत किया जाएगा, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उस तारीख को या उस तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में निर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है;

सारणी I

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी II

स्थायी पुल, या सुरंग की लागत(करोड़ रू. में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	विशाल आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपये या उसके भाग के लिए, पन्द्रह करोड़ रूपये से अधिक और एक सौ करोड़ रूपये तक	1	1.50	3	4.50	6

IndiaCode

टिप्पण :-

1. फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए निर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा ।

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
53.900 कि.मी. (राजकोट जिले में कांजा गांव के पास)	38.800
113.540 कि.मी (राजकोट जिले में सुपाशी गांव के पास)	48.790

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (लों) संरचनाओं के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे दी गई है, शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा (ओं) पर शोध्य और संदेय होगा ।

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) और (पुल/ संरचना) की लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा	
	लम्बाई	लागत
53.900 कि.मी. (राजकोट जिले में कांजा गांव के पास)	4.70 कि.मी.	68.85 करोड़ रु0
53.900 कि.मी. (राजकोट जिले में कांजा गांव के पास)	19.80 कि.मी.	100.00 करोड़ रु0
113.540 कि.मी (राजकोट जिले में सुपाशी गांव के पास)	11.40 कि.मी.	63.70 करोड़ रु0

3. वर्ष 2012 13 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 200.00/- रूपए (दो सौ रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुमत्य भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुमत्य भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. शुल्क की दरों में संशोधन उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु छः मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नही किया जायेगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/669/सीएमडी-सीओ/11-12/जीसी अहमदाबाद (जेतपुर-सोमनाथ) (बीओटी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2013

S.O. 334(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035(E), dated the 7th May, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 127.000 (Jetpur-Somnath Section) of National Highways No. 8D in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Jetpur – Somnath Tollways Limited, having its registered office at Narman Chamber, C-32, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai-400051, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 09.08.2010 for the development of Jetpur – Somnath Section from Km 0.000 to Km 127.600 on National Highway No. 8D (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 123.490 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

IndiaCode

TABLE I

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE II

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 53.900 (near Kanza village in Rajkot district)	38.800
Km/Ch. 113.540 (near Supashi village in Rajkot district)	48.790

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

513 GI/13-2

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and cost of bypass (in rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km/Ch. 53.900 (near Kanza village in Rajkot district)	4.70	Rs. 68.85 crore
Km/Ch. 53.900 (near Kanza village in Rajkot district)	19.80	Rs. 100.00 crore
Km/Ch. 113.540 (near Supashi village in Rajkot district)	11.40	Rs. 63.70 crore

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred Only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/669/CMD-CO/11-12/GC Ahemdabad (Jetpur-Somnath) (BOT)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.